न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)
केम्प कोर्ट का स्थान – ग्राम पंचायत साण्डवा (अटल सेवा केन्द्र)
पीठासीन अधिकारी :– संजू पारीक आर. ए. एस.

न. मु. 29/2014

1 फुसाराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 बिमला देवी पत्नी स्व. दीपाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
2 गोविन्दप्रसाद पुत्र स्व. दीपाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3 औमप्रकाश पुत्र स्व. दीपाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
4 शिवरतन पुत्र स्व. दीपाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
5 लालचन्द पुत्र स्व. दीपाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
6 राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व. दीपाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
7 सीताराम पुत्र स्व. मालाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
8 रुकमा पुत्री स्व. मालाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
9 पुष्पा पुत्री स्व. मालाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
10 मैना पुत्री स्व. मालाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
11 तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर चूरू
12 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर चूरू

प्रतिवादीगण

13 संतोष कुमार पुत्र मदनलाल ब्राहाम्ण निवासी बम्बू तह. बीदासर चूरू
14 रतनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
15 भीमसिंह पुत्र लादूसिंह जाति जाट खिचड़ निवासी ग्राम लुहारा तह. बीदासर चूरू
16 गोविन्दप्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति सारस्वत निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
17 बिशनाराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर चूरू
18 खेताराम पुत्र कुनणाराम जाति जाट निवासी बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू
19 नारायण पुत्र शैतानाराम जाति जाट निवासी बैरासर तह. बीदासर चूरू
20 रामी पत्नी धीराराम जाति जाट ढाका निवासीनी साण्डवा
21 रामी पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासीनी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
22 कमला देवी पत्नी हड़मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम भौमपुरा तह. बीदासर
23 सुशीला पत्नी सोहनराम जाति जाट निवासीनी भौमपुरा तह. बीदासर चूरू
24 रामी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम भौमपुरा तहसील बीदासर
25 जगदीश प्रसाद पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम उड़वाला
26 राजकुमारी पत्नी राकेश कुमार जाति लखोटिया निवासीनी साण्डवा
27 केशराराम पुत्र रामनारायण जाति जाखड़ जाट निवासी ग्राम साण्डवा
28 राधा पत्नी पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
29 बिमला पुत्री स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
30 मोहनी पुत्री स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
31 रामेश्वरी पुत्री स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
... पुत्री स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी ...

अधिकारी

Scanned by CamScanner

34 रेवन्तराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
35 नोरतन पुत्र स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
36 दौलतराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
37 बंशीधर पुत्र नरसिंहराम जाति राठी माहेश्वरी निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
38 लक्ष्मीनारायण पुत्र हनुमानमल जाति दाधीच निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
39 हरिप्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति लखोटिया निवासी साण्डवा तहसील बीदासर चूरू
40 रफीक खॉ पुत्र स्व. इस्माईल खॉ जाति सिलावट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर चूरू
41 श्यामसुन्दर पुत्र रामेश्वरलाल जाति सोनी निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू
42 श्राजकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति सोनी निवासी ग्राम साण्डवा
43 बजरंगलाल पुत्र नानुराम जाति सोनी निवासी साण्डवा
44 बुलीराम उर्फ बुलिया पुत्र बाबुलाल जाति नाई निवासी साण्डवा
45 चैनरूप पुत्र सोहनलाल जाति छाजेड निवासी साण्डवा
46 जालमसिंह पुत्र स्व. नथूसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डवा
47 श्रवण कुमार पुत्र पन्नालाल जाति भार्गव निवासी साण्डवा
48 हजारीराम पुत्र भौमाराम जाति ढाका जाट निवासी साण्डवा
49 खुमाराम पुत्र पन्नाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा
50 बिशनाराम पुत्र भगवानाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा
51 सुरजाराम पुत्र भगवानाराम जाति भार्गव निवासी साण्डवा
52 बाबुलाल पुत्र मोहनराम जाति ब्राहाम्ण धनेरूवाले निवासी साण्डवा
53 हनुमानमल पुत्र किसनाराम जाति देरासरी ब्राहाम्ण निवासी साण्डवा

गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत कृषि भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. वादी – मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट
2. प्रतिवादी – बसन्त कुमार चोटीया व पैरोकार राज
3. गौण प्रतिवादी– मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

निर्णय

दिनांक :– 12–6--2017

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी, प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण 13 ता 36 का वर्तमान खेत खसरा नम्बर 247 तादादी 08–18 बीघा, खसरा नम्बर 286 रकबा 10–19 बीघा, खसरा नम्बर 347 तादादी 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 382 रकबा तादादी 6–05 बीघा, खसरा नम्बर 426 तादादी 4–14 बीघा, खसरा नम्बर 559 तादादी 19–00 बीघा, खसरा नम्बर 559/971 तादादी 1–18 बीघा, खसरा नम्बर 561/972 तादादी 1–00 बीघा, खसरा नम्बर 909 तादादी 3–00 बीघा खसरा नम्बर 1466/561 तादादी 0–10 बीघा, खसरा नम्बर 1467/561 तादादी 3–15 बीघा कुल तादादी 61–09 बीघा वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर में संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 के पिता स्व. दीपाराम एवं स्व. दीपाराम के पिता मालाराम ने वादगत कृषि भूमि हिस्सा को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र व अधिकाशतः भूमि जरिये इकरारनामा के विक्रय कर चुके है, प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 व पूर्व खातेदार स्व. दीपाराम, स्व. मालाराम ने रोही ग्राम साण्डवा की खसरा नम्बर 426 रकबा 4–14 बीघा में से 3–08 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय कर गौण प्रतिवादीगण सख्या 37 ता 53 का कब्जा करवा दिया था। खसरा नम्बर 1467/561 में से 1–07 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र गौण प्रतिवादी सख्या 16 को व 01 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र गौण प्रतिवादी सख्या 17 व 10 बिश्वा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र गौण प्रतिवादी सख्या 15 को विक्रय कर दी। इस प्रकार से प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र व इकरारनामा के आधार पर विक्रय कर चुके है।

वादगत कृषि भूमि के किसी भी हिस्सा पर प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 का कोई कब्जा उपयोग उपभोग नही है। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 राजस्व रेकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के हिस्सा में आई हुई कृषि भूमि को विक्रय कर वादी व गौण प्रतिवादीगण 28 ता 36 को बेदखल करने पर आमादा है।

वादी व गौण प्रतिवादीगण 28 ता 36 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र या इकरारनामा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण नहीं किया है। मौखिक बन्टवारे के मुताबिक वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के हिस्सा में वादगत कृषि भूमि के खेत खसरा नम्बर 559 रकबा 19–00 बीघा में से 5–10 बीघा भूमि ग्राम साण्डवा से पारेवड़ा जाने वाले रास्ते पर हिस्सा पांती में आई हुई है। जिसको वादी एवं गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 सयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादी व गौण प्रतिवादीगण 28 ता 36 की हिस्सा भूमि उनके कब्जा अधिकार उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 राजस्व रेकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर विक्रय हस्तान्तरण कर वादी व गौण प्रतिवादीगण 28 ता 36 को बेदखल करना चाहते है। वादगत कृषि भूमि पर गौण प्रतिवादीगण सख्या 13 ता 53 का कब्जा उपयोग उपभोग होने से पक्षकार संयोजित किया गया है।

वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के हिस्सा पांती में आई भूमि को नाजायज रूप से प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 विक्रय कर हस्तान्तरण करना चाहते है, वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 को खसरा नम्बर 559 की 5–10 बीघा भूमि को विक्रय कर बेदखल कर अन्य व्यक्तियों को कब्जा करना चाहते है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 को जरिये चिर निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द फरमाया जाये।

वादगत कृषि भूमि में से प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर गौण प्रतिवादीगण सख्या 37 ता 53 का नाम राजस्व रेकार्ड में मुताबिक कब्जा उपयोग उपभोग के दर्ज किया जाये। गौण प्रतिवादीगण सख्या 37 ता 53 व गौण प्रतिवादीगण सख्या 15 ता 17 को विक्रय की गई भूमि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 के हिस्सा पांती की रही थी। इसलिए वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 10 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना कानूनन आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 559 को छोड़ कर शेष भूमि पर प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 व गौण प्रतिवादी सख्या 13 ता 20 , 22 ता 27 व 37 ता 53 ने चार दिवारीयां बना कर रिहायसी मकान बना लिये है, खसरा नम्बर 559 में से दिखणादी तरफ की 5–10 बीघा भूमि वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 एवं खसरा नम्बर 559 की उतरी तरफ की 13–10 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 21 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी एवं गौण प्रतिवादी सख्या 28 ता 36 के अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि का विभाजन करवा कर अलग से लगान कायम करवाने के कानूनी अधिकारी है।

वादी वादगत कृषि भूमि के सयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार होने एवं वादगत कृषि भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका वादी घोषणा एवं विभाजन कराने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए वादी को वादाधार प्राप्त है।

प्रतिवादी सख्या 4 शिवरतन ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बीदासर के समक्ष दावा अनुवानी शिवरतन बनाम बंशीधर आदि व इसी अनुवान का प्रार्थना पत्र सख्या 8/2013 दिनांक 23.4.2014 को विड्रा कर खारिज करवा लिया और वादी व गौण प्रतिवादी सख्या 28 ता 36 को ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि राजस्व रेकार्ड में वर्णित हिस्सा की भूमि विक्रय कर वादी व गौण प्रतिवादीगण 28 ता 36 को भूमाफिया गिरोह से बेदखल करवा दुगा। यही दावें का वाद हैतुक है।

वादगत कृषि भूमि ग्राम साण्डवा में स्थित होने से श्रीमानजी के न्यायालय को वाद सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार है।

वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के कब्जा काश्त में आई हूई खसर नम्बर 559 की दक्षिणी तरफ की 5–10 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 426 में से 0–05 बीघा भूमि पर वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के मकान बने हूए है की भूमि का विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 व 10 की तरफ से श्री बसन्त चोटिया एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादी सख्या 11 व 12 की औंर से पैराकार राज उपस्थित आये। गौण प्रतिवादी सख्या 28 ता 36 व 37 ता 51 की औंर से श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी सख्या 9 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 13 ता 27 व 52, 53 बावजूद विधिवत तामील के उपस्थित नही आने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 व 10 की औंर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। गौण प्रतिवादीगण 28 ता 36 व 37 ता 51 की औंर से इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया। पैरोकार राज की औंर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने के कारण पैरोकार राज का जवाब बन्द किया गया।

तनकीयात कायम की गई। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश–6, नियम –17 सी. पी. सी. तथा प्रार्थना पत्र आदेश–14, नियम –5 सी. पी. सी. वास्ते तनकियात संशोधन हेतू प्रस्तुत किये गये। प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम–17 का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व प्रार्थना पत्र आदेश–14 नियम–5 तनकीयात संशोधन का है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तनकी संशोधित की जाकर वर्तमान पेश तनकी के क्रम सख्या 2 को स्वीकार किया जाता है। को सुना गया साक्ष्य वादी में फुसाराम, रेवन्तराम व दौलतराम के सशपथ बयान पैश होने पर बयान लेख बद्ध किये गये। वादी की औंर से नक्शा प्रदर्श–1, व नक्शा प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श–3 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अंवसर दिया गया। प्रतिवादीगण की औंर से कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2016 को आदेश–6, नियम–17 सी. पी. सी. का पेश किया, जिसमें वादी ने अपने वाद पत्र में केवल मात्र अपना हिस्सा वादगत खसराजात में से विभाजन कर अलग खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया है जिसमें वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के सयुक्त रूप से रोही मौजा साण्डवा के खेत खसरा नम्बर 559 रकबा 19–00 बीघा में से दक्षिणी पाखी की पारेवडा रास्ता पर स्थित 5–10 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 426 रकबा 4–14 बीघा में से 0–05 बीघा भूमि की अलग खातेदारी कायम कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा है व राजस्व रेकार्ड में घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, चिर निषेधाज्ञा का अनुतोष वादी ने नहीं चाहा है इस आधार पर नई तनकी कायम की जाकर निर्णित किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नक्शा प्रदर्श–1, नक्शा प्रदर्श–2 व जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श–3 व वादी स्वयं व वादी की और से प्रस्तुत गवाहान रेवन्तराम, दौलतराम के बयानो का अवलोकन किया।

वाद बिन्दु (तनकी)

1 आया वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 खसरा नम्बर 559 में से दक्षिणी तरफ की 5–10 बीघा व खसरा नम्बर 426 में से 0–05 बीघा का विभाजन करवाने का अधिकारी है....................जिम्मे वादी

विवाधक बिन्दु सख्या 2 इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि वादगत रोही साण्डवा के खेत खसरा नम्बर 559 रकबा 19–00 बीघा व खसरा नम्बर 426 रकबा 4–14 बीघा में वादी व गौण प्रतिवादी सख्या 28 ता 36 का नाम राजस्व रेकार्ड में 184.60 हिस्सा भूमि के बतौर खातेदार है जो प्रदर्श–3 से प्रमाणित है। वादी ने भी अपने अनुतोष में भी यही चाहा है कि वादगत खसरा सख्या 559 रकबा 19–00 बीघा में से दक्षिणी पाखी की 5–10 बीघा व खसरा नम्बर 426 रकबा 4–14 बीघा में से 0–05 बीघा भूमि का अपना कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण व अन्य गौण प्रतिवादीगणों की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया है गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 व 37 ता 51 ने भी अपना इकबाल जवाब दावा पेश कर वादी के वादपत्र को स्वीकार किया है। इससे भी यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित होना पाया है कि प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 व 10 ने अपने जबाव में यह स्वीकार किया है कि वादी व गौण प्रतिवादी अपना हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को यदि सयुक्त खातेदारी भूमि से अपना अलग हिस्सा कायम करवाये तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। अपने जवाब में केवल यह निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण का हिस्सा खातेदारी में कायम रहे। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 3 पेश किये है। जिससे भी वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज की जानी उचित प्रतीत होती हे। वादी ने अपने साक्ष्य में वादी स्वयं, रेवन्तराम, दौलतराम के साक्ष्य पेश किये है जिससे भी यह प्रमाणित हैं कि वादी का वाद निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार की जाती है।

वादगत खेत रोही साण्डवा के खसरा नम्बर 247 तादादी 08–18 बीघा, खसरा नम्बर 286 रकबा 10–19 बीघा, खसरा नम्बर 347 तादादी 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 382 रकबा तादादी 6–05 बीघा, खसरा नम्बर 426 तादादी 4–14 बीघा, खसरा नम्बर 559 तादादी 19–00 बीघा, खसरा नम्बर 559/971 तादादी 1–18 बीघा, खसरा नम्बर 561/972 तादादी 1–00 बीघा, खसरा नम्बर 909 तादादी 3–00 बीघा खसरा नम्बर 1466/561 तादादी 0–10 बीघा,

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 1467/561 तादादी 3–15 बीघा कुल तादादी 61–09 बीघा म से वादीव गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 के अपने हिस्सा पांती की भूमि खेत खसरा नम्बर 559 रकबा 19–00 बीघा में से दक्षिणी पाखी की 5–10 बीघा व खसरा नम्बर 426 रकबा 4–14 बीघा में से 0–05 बीघा भूमि वादी व गौण प्रतिवादीगण सख्या 28 ता 36 सयुक्त खातेदार है जिसमें वादी को सयुक्त खातेदारी होने के कारण कई प्रकार की कानूनी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी का विभाजन का दावा प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 559 तादादी 19–00 बीघा में से 5–10 बीघा व खसरा नम्बर 426 तादादी 4–14 बीघा में से 0–05 बीघा हिस्सा का कब्जा काश्त एवं खातेदारी अनुसार अलग विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावें। इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी जारी हो। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावें। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपनावहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को कैम्प कोर्ट साण्डवा में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व

इजलास श्रीमति संजू पारीक आर. ए. एस.

फुसाराम बनाम विमला देवी आदि

दावा बाबत दावा घोषणात्मक रेकार्ड रेकार्ड दुरस्ती विभाजन

मुकदमा न0 29/14 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु

हाजरी मो० अमीन शेख एड मिनजानिब मुद्दई व बसन्त कुमार एड मो० शाहिद एड

मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि ...

अतः दावा वादी आंशिक रूप से डिग्री किया जाकर वादगत खेत ख० नं. 559 तादादी 19–00 बीघा में से 5–10 बिघा व ख० नं. 426 तादादी 4–14 बीघा में से 0–05 बीघा हिस्सा का कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार अलग विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 2017.

मुहर [स्टाम्प: उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू]

दस्तखत [signature]
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

Scanned by CamScanner